



राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता



26406
5/11/2020

बैठक सूचना

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2020 को अपरान्ह 1.00 से 3.00 बजे तक मीटिंग हॉल, कार्यलय आयुक्त, उद्योग, उद्योग भवन, जयपुर में महिला अधिकारिता, उद्योग विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। तीनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला स्तर पर DOIT&C के V.C.सेन्टर के माध्यम से वी.सी. में भाग लेंगे अतः इस हेतु उद्योग विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर द्वारा अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी कराने की कार्यवाही की जानी है।

उक्त वी.सी. में महिला अधिकारिता द्वारा संचालित इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन तथा प्रगति पर चर्चा की जाएगी। अतः उक्त वी.सी. में निम्नलिखित अधिकारी सादर आमंत्रित है—

1. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
2. राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर तथा प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी., महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, जयपुर।

संलग्न— बैठक एजेन्डा बिन्दु।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 5/11/2020

कमांक:—प.19 ()WE/WSHGI/BA120/IMSUPY/विविध/2019-20/

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरि. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे बैठक में उपस्थित हों तथा बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान मरुधरा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करावें।
5. अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी., महिला अधिकारिता, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ. समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला स्तरीय DOIT&C के V.C.सेन्टर के माध्यम से वी.सी. में भाग लेना सुनिश्चित करें।
7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, जयपुर को वी.सी. में भाग लेने तथा बैठक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अति० निदेशक, एसएचजी.

पता : जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर | दूरभाष : 0141-2716418

Website : www.wcd.rajasthan.gov.in | Email : shgcell.we@rajasthan.gov.in

D:\Kailash\IMSUPY\letter.docx